भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2885 का उत्तर

आंध्र प्रदेश में कडप्पा-बैंगलोर रेलवे लाइन

2885. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में विगत पांच वर्षों के दौरान कडप्पा-बैंगलोर रेलवे लाइन सहित राज्य के अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुकी नई रेलवे लाइनों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लाइनों का निर्माण कार्य कब आरंभ हुआ और वर्ष-वार कितने किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया गया है;

(ग) ऐसी रेल लाइनों के लिए अब तक आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इन रेल लाइनों के निर्माण को कब तक पूरा करने की योजना है; और

(ङ) क्या सरकार ने काफी समय से लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई प्रस्तावित समय-सीमा निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): कड़पा-बेंगलुरू (266 कि.मी.) परियोजना को 2706 करोड़ रु. की लागत पर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 50:50 लागत भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था। मार्च, 2025 तक 358.60 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और कड़पा-पेंडलिमर्रि खंड (21 कि.मी.) को कमीशन कर दिया गया है।

अब तक, आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना में अपनी हिस्सेदारी के 1353 करोड़ रु. के तहत 189.95 करोड़ रु. जमा किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से परियोजना में अपनी हिस्सेदारी जमा करने का अनुरोध किया गया है, ताकि परियोजना का निष्पादन आगे बढ़ाया जा सके।

जून, 2021 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने इससे इतर संरेखण का सुझाव दिया है। तदनुसार, मुद्दनुरु - पुलिवेंदुला - मुदिगुब्बा - श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम (105 किलोमीटर) के बीच नए संरेखण के लिए सर्वेक्षण की स्वीकृति दे दी गई है।

परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदनों जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/ओं स्थल के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष कार्य स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

*****